उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अनुपालन में खण्डीय मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु दिये गये आवेदन पत्र

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता के क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	दीवान चन्द्र	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० श्रीनगर	अल्मोड़ा तहसील–रानीखेत	1. निर्माण खण्ड लो०नि०वि० हल्द्वानी 2. अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० भवाली 3. निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नैनीताल 4. पि/या खण्ड लो०नि०वि० भीमताल 5. निर्माण खण्ड ए०डी०बी० लो०नि०वि० नैनीताल	धारा 17(1) (ख) (धारा)(1)	संलग्न है.	प्रार्थना–पत्र संलग्न किया जा रहा है।

संलग्न-पत्र 15N.

हस्ताक्षर–
नाम– दीवान चन्द्र
पदनाम– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर राजकीय अभियन्ता
रा०मा० निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पदनाम श्रीनगर अभियन्ता

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0 देहरादून।

द्वारा– उचित माध्यम।

विषयः– अनुरोध पर स्थानानतरण चाहने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी का स्थानानतरण अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 भवाली से पदोन्नति के फलस्वरूप निर्माण खण्ड–द्वितीय (ए0डी0बी0) लो0नि0वि0 गौचर खण्ड, में किया गया था। माहेदय के संज्ञान में यह लाना है कि प्रार्थी की वृद्ध माता जी है जिसकी आयु 75 वर्ष की है, जा हृदय रो0 से गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है। जिसका उपचार नरसिंह होम हॉसपिटल हल्द्वानी से चल रहा है। जिनका माह में दो बार चैकअप कराया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी को निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गौचर में सम्बद्ध किया गया तदोपरान्त पदोनत्ति में मेरा स्थानानतरण ए0डी0बी0 गौचर से एन0एच0 लो0नि0वि0 श्रीनगर खण्ड में किया गया है। प्रार्थी द्वारा इससे पूर्व भी अनुरोध के आधार पर स्थानानतरण चाहने हेतु आवेदन किया है लेकिन प्रार्थी के आवेदन पर कोई विचार नही किया गया है। प्रार्थी अपने परिवार का एकलौता वारिस होन के कारण इतनी दूरी होने के कारण सःसमय परिवार की देख–रेख करने में असमर्थ है, वैसे प्रार्थी को गौचर खण्ड में पॉच वर्ष की सेवा की जा चुकी है इतनी दूरी होने के कारण प्रार्थी का स्वंय का अत्यधिक स्वास्थय ठीक नही होने के कारण प्रार्थी का उपचार हलद्वानी नीलकंण्ड हॉस्पीटल एवं क्षयरोगाश्रम भवाली से चल रहा है। मौसम चैंज होने से प्रार्थी का स्वास्थय खराब रहता है जिस कारण प्रार्थी को स्वास्थय परीक्षण हेतु बार–बार भवाली/हल्द्वानी जाना पड़ता है। शासनादेश सं0 30/xxx-2/2018-30(13)2017 के अनुरोध के आधार पर स्थानानतरण (धारा 13,14,17 (1) ख (4) के (1) के अन्तर्गत पार्ता में आता है महोदय जिस कारण प्रार्थी द्वारा राजकीय कार्यो को सूचारू रूप से निर्वाह नही हो पा रहा है। महोदय विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी की आर्थिक परेशानी को ध्यान में रखते हूए प्रार्थी का स्थानानतरण सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रार्थी का स्थानानतरणलो0नि0वि0 नैनीताल/हल्द्वानी खण्ड में करने की कृपा करें। जिससे प्रार्थी अपने परिवार/स्वयं का उपचार सःसमय करते हुए साथ ही राजकीय कार्यो को भी सम्पादित कर सके। प्रार्थी द्वारा हॉस्पीटल की पंजीकरण पर्चो की फोटो प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

दीवान चन्द्र,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर

पत्रांक /

दिनांक / /2023

प्रतिलिपिः– 1–श्रीमान प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून को इस अनुरोध के प्रेषित की प्रार्थी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का स्थानानतरण उपरोक्त खण्ड में करने की कृपा करें जिसके लिए प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

2–प्रान्तीय/क्षेत्रीय अध्यक्ष मि0ए0 लो0नि0वि0 देहरादून उत्तराखण्ड को इस आश्य से प्रेषित की अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

3–जिला महामंत्री लो0नि0वि0 गोपेश्वर।

भवदीय

दीवान चन्द्र,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर

Scanned with OKEN Scanne

क्षयरोगाश्रम भवाली, नैनीताल

O.P.D. No. 6107
ओ0पी0डी0 नं0

दिनांक 17/03/2023

मरीज का नाम दीवान सिंह S/o उदय सिंह ..... वजन ..... लिंग M
पता भवाली ..... उम्र 52

दिनांक	रोग / लक्षण / निदान / सलाह
C/o	Haemoptysis, Cough] △ Pulmonary Tuberculosis on ATT w.e.f = 13/01/2023 from CHC. Bhowali.
	Wt = 49 kg
	℞ Continue ATT Daily DOTS Cat I (7 days)
	- Cap Omeprazol 20 mg - (1) OD + ES
	- tab Tranexa 500 mg - (1) B.D.
	- tab Ethamsylate 500 mg - (1) T.D.S.
	- tab Kerutin - C - (1) B.D.
	- tab. Alprax 0.2 mg - (1) HS.
	- Syp Codistar 2 tsp. + d-2
	- tab Cetzin 1 mg - (1) OD
	- tab. B-Complex - (1) OD
Adv ⇒	Complete Bed Rest for 7 days
	Review = 7 days / S.O.S

1- एक सप्ताह से अधिक की खाँसी टी0बी0 हो सकती है।
2- टी0बी0 का इलाज है डाट्स (DOT)
3- तुरन्त बलगम की जाँच करायें और टी0बी0 होने पर डाट्स (DOT) अपनायें।
4- अपने निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में जाँच एवं इलाज हेतु सम्पर्क करें।
5- सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में डाट्स (DOT) सुविधाएँ मुफ्त / निशुल्क उपलब्ध हैं।

17/3/23

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर
Email eenhsrinagar@ gmail. Com
phone/Fax No- 01346-250711

पत्रांक 669 / AE

दिनांक 26 / 04 / 2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0, "व्यवस्थापन 'क' वर्ग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिको द्वारा दिये जाने वाले 10 ऐच्छिक स्थानों एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक सं0 527 / 34 व्यक–स्थानान्तरण–सा0 / 2023 दि0 20.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराया जाना है कि श्री दियान चन्द मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का प्रार्थना पत्र जिसे संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रपत्र को भरकर आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– 15 नं0 पृष्ठ।

26/4/23
अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर

पत्रांक / दिनांक / /2023

प्रतिलिपिः–1– मुख्य अभियन्ता, (अधिष्ठान) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य अभियन्ता, रा0मा0 लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

3– अधीक्षण अभियन्ता, 10 वां रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर

Scanned with OKEN Scanne

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप –2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 वैकल्पिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						धारा के नाम के आगे ✓ लगावें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री बुद्धि वल्लभ नौटियाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० नई दिल्ली	जनपद चौड़ी गढ़वाल तहसील चौड़ी	वि०/यां खण्ड लो०नि०वि० देहरादून।	☑ धारा 17 (1) (ख) (एक)	उपचार से सम्बन्धित संख्या 03 नं०	प्रार्थी की पत्नी को डिस्कलिप की समस्या है, तथा वर्तमान में कोटद्वार में निवासरत है। प्रार्थी द्वारा दूरस्थ स्थान पर तैनात होने के कारण प्रार्थी पत्नी की देख-भाल करने में असमर्थ है। प्रार्थी द्वारा दुर्गम क्षेत्र में एच०आर०एम० पोर्टल के अनुसार 43 वर्ष से अधिक की सेवा की गई है। अतः प्रार्थी का स्थानान्तरण निम्नोल्लिखित में अनुरोध के आधार पर वर्णित खण्डों में से किसी एक खण्ड में करने की कृपा करें।
					प्रा०खण्ड लो०नि०वि० देहरादून।	☐ धारा 17 (1) (ख) (दो)		
					प्रा० खण्ड लो०नि०वि० हरिद्वार।	☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (पाँच)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17 (1) (ख) (सात)		

नोट- कॉलम संख्या -07 में दर्शाये गये आधार की सम्बन्ध में स्थान स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम–श्री बुद्धि वल्लभ नौटियाल
पदनाम–मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(डॉ दिनेश मोहन गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० नई दिल्ली

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'ग' वर्ग
उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून।

द्वारा– उचित माध्यम।

विषयः– निजीहित में विद्युत /यांत्रिक खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून में स्थानान्तरण चाहने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन करना है, कि प्रार्थी वर्तमान में प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। महोदय अवगत कराना है, कि प्रार्थी का परिवार वर्तमान में कोटद्वार में निवासरत है। प्रार्थी की उम्र वर्तमान में 55 वर्ष हो चुकी है, एवं प्रार्थी द्वारा 27 वर्ष से अधिक की सेवा दुर्गम क्षेत्र में दी गई है। प्रार्थी का बेटा वर्तमान में आर्मी में अण्डमान निकोबेर द्वीप पर तैनात है, तथा प्रार्थी की पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक नही रहता है, उन्हें डिस स्लाईड की समस्या है। प्रार्थी दूरस्थ स्थान में कार्यरत होने के कारण राजकीय कार्यो के साथ–साथ परिवार/पत्नी की देखभाल करने में असमर्थ है। वर्तमान में विद्युत/यांत्रिक खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद माह अप्रैल 2023 मे रिक्त हो रहा है।

अतः विनम्र अनुरोध करना है, कि प्रार्थी की उपरोक्त पारिवारिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण निजीहित में विद्युत/यांत्रिक खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून में करने की कृपा करेंगे, इस उपकार हेतु प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार आपका आजीवन आभारी रहेगा जी।

संलग्न– पत्नी के चिकित्सा प्रमाण पत्रों की छायाप्रति।

प्रार्थी

बुद्धि बल्लभ नौटियाल
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,नई टिहरी

अग्रिम प्रतिलिपिः– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष व्यवस्थापन 'ग' वर्ग उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण विद्युत/यांत्रिक खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून में करने की कृपा करेंगे

प्रतिलिपिः– प्रान्तीय, क्षेत्रीय, जनपदीय अध्यक्ष/महामंत्री मिनिस्ट्रएल एशोसिऐशन उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून, घनसाली, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण विद्युत/यांत्रिक खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून में करवाने की कृपा करेंगे ।

पत्रांक 628 / मुख्य दिनांक 14-3-23.

मुख्य बात में अधीक्षण अभियन्ता खण्ड मुख्य लो0नि0वि0 नई टिहरी को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
नई टिहरी

प्रार्थी

बुद्धि बल्लभ नौटियाल
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,नई टिहरी

अस्पताल में प्राप्त नहीं होने वाली दवाईयां जन औषधि केंद्र से खरीदें जो बाजार से सस्ती है। चिकित्सालय परिसर में धूम्रपान, कूड़ा करकट डालना, गंदा करना सख्त मना है।

(05)

(यह पर्ची केवल 15 दिनों के लिए मान्य है।)

Date: 04 Jun, 2022

O.P.D. Card बाह्य रोगी कार्ड

27/-रुपये

Department: Orthopedic
Name: ASHA DEVI
Age: 49 yrs
Category: APL

Registration No.: DH220673063
Father/Husband Name:
Gender: Female
Date & Time: 04 Jun, 2022 11:05 AM

History/Complaint: -c/o- Pain in Blowe back. Radiating to B/L LL x 4 days
→ NO H/o of Trm

Examination:

Investigation:
X-ray LS spine AP
LS spine LAT

Rx:
TAB PCM + ACLOFENAC + CHLORZOXAZONE 1 BD x 10 days
TAB IFM 80 1 OD x 10 days
TAB METHYLCOBALAMIN 1500 mcg 1 OD x 2 weeks
TAB PREGABALIN 75 mg 1 HS x 10 days

1. माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 1.75 (एक लाख पचहत्तर हजार) रुपये [50 हजार + 1.25 (एक लाख पच्चीस हजार)] तक के निःशुल्क इलाज चिकित्सालय में भर्ती होने पर सभी बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. उत्तराखंड निवासियों के लिए उपलब्ध है। (केवल सरकारी कर्मचारी, पेंशनर एवं इनकम टैक्स देने वाले व्यक्तियों को छोड़कर)
2. पर्ची में एक रुपये शुल्क की राशि दाखिलीय आवश्यक है। पेटी को सम्भाल से जीवन उपयोगी बात की आवश्यकता विदेश करे पुकार, मरा कोई मत अत्याचार, है भी है, एक क्या दुकान मुफ्त में ही है दवा दुकान।
3. बी.पी.एल. परिवार के व्यक्तियों को गंभीर रोगों के उपचार के लिए राज्य आपदा निधि से 1.50 (एक लाख पचास हजार) रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। अधिक जानकारी हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क करें।

Contact us at: ms.tehri@gmail.com, 0137-6232831Printed on 04/06/2022 11:06:06

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	मूल जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री शिशुपाल सिंह कुंवर	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ीगढ़वाल	चमोली/ गैरसैंण	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	धारा के नाम के आगे ✔ लगायें ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☐ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत तथ्यों का विवरण	मैं मधुमेह एवं थायरॉयड रोग से ग्रस्त हूँ। साथ ही मेरी नसों की बीमारी से पीड़ित हूँ तथा मेरा निवास वर्षों से एम्स ऋषिकेश एवं हिमालयन अस्पताल जौलीग्रान्ट से उपचार चल रहा है। साथ ही आपको अवगत कराना है कि दि0 31.08.2023 को म0ख0 लो0नि0वि0 ऋषिकेश में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री कमल सिंह राणा सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अतः अनुरोध है कि उनके स्थान पर मेरा स्थानान्तरण करने की कृपा करें जिससे कि मैं अपना उपचार सही प्रकार से करा सकूं।

हस्ताक्षर (आर्थिक)

नाम – शिशुपाल सिंह कुंवर
पदनाम – मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
म0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर,
मुख्यालय– पौड़ीगढ़वाल

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम – विनोद कुमार आर्य
पदनाम – अधिशासी अभियन्ता
म0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर,
मुख्यालय– पौड़ीगढ़वाल

E-Mail

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर गु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 698 / 4 ई0 दिनांक 02 / 05 / 2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'ग' वर्ग
लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय – **लोक निर्माण विभाग 2023 में लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ – **वरिष्ठ स्टॉफ अ..फेसर (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन 'क' वर्ग, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून का कार्यालय ज्ञाप संख्या 527 / 34 व्यक–स्थानान्तरण–सा0 / 2023 दि0 20.04.2023 एवं आपका प0सं0 1198 / 02 ई0बी0–08 / 2023 दि0 24.04.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है। कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु इस खण्ड के पात्र कार्मिक **श्री शिशुपाल सिंह कुवर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी** के अधिनियम की धारा–09 एवं धारा–12 के अनुसार प्रारूप–2 भरकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक – प्रारूप सं0–2, एक प्रति

(इं0 डी0 पी0 आर्य)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0 श्रीनगर
मुख्यालय–कीर्तिनगर

पत्रांक /4 ई0 दिनांक / 05 / 2023

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक – प्रारूप सं0–2, एक प्रति

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0 श्रीनगर,
मुख्यालय–कीर्तिनगर

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देवेन्द्र सिंह सिंह पागती	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।	पिथौरागढ़ (मुनस्यारी)	निर्माण खण्ड, हल्द्वानी	पात्र के नाम के आगे √ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	माह– 07/2023 में निर्माण खण्ड रामनगर में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सेवा निवृत्त हो रहे है। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष व्यवस्थापन 'ग' वर्ग का पत्र जो उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग को अपने पत्र संख्या–883/115 व्यग–अधि०–उ० /2022 दिनांक 07.12.2022 (प्रतिलिपि संलग्न है)। प्रकरण को अपने पत्रांक–851/115 व्यग–अधि०–उ०/22 दिनांक 30.11.2022 द्वारा शासन को प्रेषित है, के क्रम में अनुरोध के आधार पर रिक्त के सापेक्ष स्थानान्तरण करने की कृपा करें।
					राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, हल्द्वानी	धारा 17 (1) (ख) (एक) ✓	अपने अभी तक के सम्पूर्ण सेवा काल में अधिकतम समय अतिदुर्गम/दुर्गम क्षेत्र पिथौरागढ़, अस्कोट, डीडीहाट, अल्मोड़ा में सेवायें दी है। इस तरह अपने 23 वर्ष से अधिक अतिदुर्गम/दुर्गम में की गयी सेवाओं का मूल्यांकन किया जाय। साथ ही प्रार्थी वर्ष 2019 से पेरालिसेस बिमारी से ग्रस्त है, जिस कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर द्वारा अपने परामर्श में पहाड़ में जाने से मना किया गया है। (चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न है)। अतः जनहित परेशानी एवं सेवाओं को देखते हुए मैं अनुरोध के आधार पर सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण करने की कृपा करें।	
					निर्माण खण्ड, खटीमा	धारा 17 (1) (ख) (दो)		
					प्रान्तीय खण्ड, रुद्रपुर	धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
					पी०आई०यू०, टनकपुर	धारा 17 (1) (ख) (चार)		
					पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड काठगोदाम	धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
					अस्थाई खण्ड, भवाली	धारा 17 (1) (ख) (छः)		
					निर्माण खण्ड, नैनीताल	धारा 17 (1) (ख) (सात)		
					प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल			
					निर्माण खण्ड, रामनगर			

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– देवेन्द्र सिंह पागती

पदनाम– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– ए० इन्द्रजीत सिंह

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

Office of the Executive Engineer, P.D., PWD, Almora (Uttarakhand)

Phone/ Fax:- 05962-230033, E-mail:eepdalmora@rediffmail.com

Web-http://pwd.uk.gov.in

पत्रांक:–

सेवा में,

दिनांक:–15 /5/2023

अधीक्षण अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0
अल्मोड़ा।

विषय:– वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वर्ष–2023 में स्थानान्तरण हेतु विकल्प दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपका कार्यालय ज्ञाप सं0 527 / 34 व्यक–स्थानान्तरण–सा0 / 2023 दिनांक 20.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराया जाना है कि इस खण्ड में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों / कर्मचारियों का वर्ष– 2023 में स्थानान्तरण हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

1.	श्री देवेन्द्र सिंह पांगती, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रारूप–2
2.	श्री कमल गोयल, सहायक अभियन्ता	प्रारूप–2
3.	श्री कैलाश रौतेला, सहायक अभियन्ता	प्रारूप–2
4.	श्री मनोज कुमार महतोलिया, सहायक अभियन्ता	प्रारूप–2
5.	श्रीमती राधिका भट्ट, सहायक अभियन्ता	प्रारूप–2
6.	श्रीमती उषा आर्या, मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	प्रारूप–2
7.	श्री गोधन सिंह मनराल, अपर सहायक अभियन्ता	प्रारूप–2
8.	श्री मनीष वर्मा, अपर सहायक अभियन्ता	प्रारूप–1 एवं प्रारूप–2
9.	श्री प्रदीप कुमार जोशी, अपर सहायक अभियन्ता	प्रारूप–1
10.	श्री प्रकाश चन्द्र पन्त, अपर सहायक अभियन्ता	प्रारूप–2
11.	श्रीमती भावना पन्त, अपर सहायक अभियन्ता	प्रारूप–1
12.	श्री कंचन कुमार आर्य, प्रधान सहायक	प्रारूप–1
13.	श्री बाबू सिंह नण्डारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	प्रारूप–2
14.	श्री अशोक सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	प्रारूप–2
15.	श्री मोहम्मद अहमद, वरिष्ठ सहायक	प्रारूप–2
16.	श्री शम्भू दत्त जोशी, अमीन	प्रारूप–1

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ई0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
अल्मोड़ा।

पत्रांक:– 829/36

दिनांक:– 15/5/023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन 'ग' वर्ग, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।

2– मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।

15-05-23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
अल्मोड़ा।

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक– 883 /115व्यग–अधि0–उ0/2022
दिनांक– 07/12/2022

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग,
शहीद भगत सिंह कालोनी,
पो0ओ0–डालनवाला,
जनपद–देहरादून।

विषय– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति उपरान्त दुर्गम क्षेत्र प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा में योगदान के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्र संख्या– A–1043/अ0जनजाति आयोग/2022–23 दिनांक–11.10.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जो इस कार्यालय में दिनांक–07.11.2022 को प्राप्त हुआ है एवं जिसके साथ संलग्न श्री देवेन्द्र सिंह पांगती, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के शिकायती पत्र दिनांक–शून्य पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से माननीय आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री देवेन्द्र सिंह पांगती, तत्कालीन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति के समय कुमांऊ क्षेत्रान्तर्गत हल्द्वानी एवं नजदीकी खण्डों सहित सुगम क्षेत्र में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं था एवं वर्तमान मे भी रिक्त नहीं है। अतः सुगम क्षेत्र में पद रिक्त न होने के कारण श्री पांगती, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा में की गयी थी। यह भी अवगत करना है कि श्री पांगती द्वारा स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक खण्डों में वर्तमान में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त नहीं है। भविष्य में दिनांक–31.07.2023 को निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष इनके स्थानान्तरण हेतु प्रकरण इस कार्यालय के पत्र सं0–861/115व्यग–अधि0–उ0/22 दिनांक–30.11.2022 द्वारा शासन को प्रेषित कर दिया गया है (प्रति संलग्न)।

सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न–यथोपरि।

ह0/–
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि श्री देवेन्द्र सिंह पांगती, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के उक्त शिकायती पत्र दिनांक–शून्य के क्रम में सूचनार्थ।

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)
06/12/2022

115vyaga

CENTRAL HOSPITAL
TRAUMA & HEART CARE CENTRE
A UNIT OF SGUR HOSPITAL & RESEARCH CENTRE PVT. LTD.
Gas Godam Traha, Kusumkhera, Kathgodam Road, Haldwani (Nainital) PH.: 05946-280287, 2502
www.centralhospital.in, e-mail : aegrhospital@gmail.com

UHID: CH112468

IP No. 19/3357

Date: 11/07/2019

Medical illness & fitness Certificate

Patient **Mr. Devender Singh Pangty,** 50 years/ male, S/o Mr. K S Pangty R/o Haldwani. On 18/05/2019 he had suffered **Acute ischemic stroke in right medulla.**

Patient was admitted in this hospital from 18/05/2019 to 29/05/2019. After discharge patient was advised rest at home from 30/05/2019 to 11/07/2019.

Clinical condition of patient on 11/07/2019- conscious, oriented, obeying commands, speech normal. Patient can eat food and can walk with support. Patient need treatment for long duration.

Clinically patient can join his duty and fit for light work.

Patient's Signature/ Thumb impression

Dr. Puneet Kumar Goyal
Consultant Neurosurgeon

Principal Superintendent
Sohan Singh Jeena Govt. Hospital
HALDWANI (Nainital)

सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय

हल्द्वानी (नैनीताल)

आवक सं० 1031
दि० 16/7/019

दिनांक 16/7/19
स्थान – हल्द्वानी

अधिशासी अभियंता
पी० एम० जी० एस० वाई० एस०यू० लो० नि० वि० काठगोदाम (नैनीताल)

आपके पत्र संख्या 722/4 ई०१ दिनांक 12/7/2019 के सम्बन्ध में करना है कि श्री/श्रीमती देवेन्द्र सिंह पागल जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित न दिनांक 16/7/19 को मेरे सम्मुख स्वास्थ परीक्षण हेतु उपस्थित हुए/हुई।

परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि श्री/श्रीमती देवेन्द्र सिंह पागल अब प से स्वस्थ हैं और सरकारी कार्य करने योग्य हैं। आप द्वारा प्रेषित चिकित्सा प्रमाण पत्र पिछली अवधि होने के कारण स्ताक्षरित नहीं किया जा सकता फिर भी वित्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के पैरा 96 (बी) के अंतर्गत शिथली कारण स्तुति की जाती है तथा मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र पुनः वापस किया जाता है।

र प्रमाणित

Principal Superintendent
Soban Singh Jeena Base Hospital,
HALDWANI (Nainital)

ECI

Principal चिकित्सा अधीक्षक
Soban Singh Jeena Base Hospital
HALDWANI (Nainital)
सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

16/7/2019

... patient need treatment for long duration.

Clinically patient can join his duty and fit for light work.

Patient's Signature/ Thumb impression

Dr. Puneet Kumar Goyal
Consultant Neurosurgeon

प्रतिहस्ताक्षरित

Principal Superintendent
Soban Singh Jeena Base Hospital
HALDWANI (Nainital)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0
काठगोदाम (नैनीताल)
Email ID :- eepmgsykathgodam@rediffmail.com
दूरभाष नं0/ फैक्स नं0 :– 05946–266211

पत्रांकः– /4ई0

दिनांक : . .2019

कार्यालय आदेश

श्री देवेन्द्र सिंह पाँगती, प्रशासनिक अधिकारी को, उनके द्वारा प्रदत्त चिकित्सा एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी से प्रतिहस्ताक्षर किये जाने के आधार पर दिनांक 18.05.2019 से दिनांक 11.07.2019 तक **कुल–55 दिन** का चिकित्सा अवकाश पूर्ण औसत वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लो0नि0वि0
काठगोदाम नैनीताल।

पत्रांकः– 798 /4ई0

दिनांक :17.7.2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री देवेन्द्र सिंह पाँगती, प्रशासनिक अधिकारी पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0, काठगोदाम।
2. उक्त की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
4. देयक हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लो0नि0वि0
काठगोदाम नैनीताल।
16/7/2019

4E

(1)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री प्रदीप किशोर	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली	जनपद–रूद्रप्रयाग, तहसील–रूद्रप्रयाग।	अ0ख0, लो0नि0वि0, ऋषिकेश।	धाराओं के नाम	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
					प्रा0ख0, लो0नि0वि0, हरिद्वार।	☑ धारा 17(1) (ख) (एक)	मधुमेह रोग पीड़ित (उपचार के प्रमाण पत्र)	
					रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर।	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)	क्रेटीना बढ़ रहा है।	
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)	फिस्टूला के दो ऑपरेशन हो चुके है। 1 हिमालय हॉस्पीटल जौलीग्रान्ट 2. अरिहन्त हॉस्पीटल देहरादून।	
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)	परन्तु फिस्टूला ठीक नही हुआ है, लगातार रिसाव के कारण चलने–फिरने में दिक्कतें हो रही है।	
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम :– श्री प्रदीप किशोर

पदनाम :– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम :– इं0 जगदीश सिंह

पदनाम :– अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली।

(2)

HIMALAYAN HOSPITAL

SWAMI RAM NAGAR P.O. JOLLY GRANT DEHRADUN-248016
PHONE : +91-135-2471200,2471300 FAX : 0135-2471317

DEPARTMENT OF RADIOLOGY

UHID	:2894042	Patient Name	:PRADEEP KUMAR
Age/Gender	:56 Yr/Male	Dept Ref No	:3122290
Referred By	:REHMANI BARAD	Bill Date	:22/11/2019
Result No	:4 [illegible]	Result Date	[illegible]

Clinical indication: Fistula in ano.
(as mentioned by the clinician in requisition slip)

MRI PELVIS

Multiplanar MR imaging of the pelvis were obtained using a body coil on a 1.5 Tesla magnet. T1, T2 weighted images obtained in axial, sagittal and coronal planes using SE & TSE sequences.

T2 weighted and fat suppressed T2 weighted axial and sagittal images show evidence of thin curvilinear hyperintense tract with external opening at approximately 7 O'clock position on right side (patient supine). The tract is seen extending upwards in intersphincteric plane crossing the midline with evidence of ramification of the tract. The tract measures 7.4cm. Internal opening is visualised at approximately 1 O'clock position. The superior branch of the tract (measuring approximately 2.1cm) is seen extending upto the posterior surface of the prostate while the inferior branch (measuring approximately 1.9cm) is seen extending on to the intersphincteric plane on left side. No supralevator extension seen. No obvious collection visualized.

Bones otherwise are normal.

No evidence of any bursal inflammatory changes or fluid is seen.

IMPRESSION : Findings are suggestive of right perianal fistula in ano with extension (as described).

Dr. Sushil
Junior Resident-III

Dr. Shailendra Raghuvanshi, MD
Professor and Head (Radiology)
sr/kb

Kindly do not consider the unsigned reports. 5:15 PM

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
2	3	4	5	6	7	8	9
विनोद कुमार	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट	पौड़ी गढ़वाल/ पौड़ी	दुर्गम से सुगम हेतु सम्भावित रिक्ति के सापेक्ष निर्माण खण्ड बड़कोट से वि/जा खण्ड लो०नि०वि० देहरादून	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	पत्नी को दुर्गम सेवा 2 माह 25 दिन है, चिकित्सा पत्र उ० 6 संलग्न है।
					☑ धारा 17(1) (ख) (एक)	चिकित्सा चिकित्सालय पौड़ी/ जिला चिकित्सालय श्रीनगर के प्रमाणित	
					☐ धारा 17(1) (ख) (दो)	संलग्न है - उपरोक्त साक्ष्य	
					☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
					☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
					☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

- कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– विनोद कुमार

पदनाम– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट (उत्तरकाशी)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– मनोहर सिंह

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

एचएनबी बेस टीचिंग चिकित्सालय, सम्बद्ध राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर गढ़वाल
HNB BASE TEACHING HOSPITAL, GOVT. MEDICAL COLLEGE,
SRINAGAR GARWHAL (UTTRAKHAND)
Ph. (Office) 01346-244706, (Emergency) 01346-244707

H

ROOM NO/DEPTT.: SKIN OPD (74, 76)

REGISTRATION NO: **15883**

DATE: 04-04-2023

PATIENT NAME: VINOD KUMAR

AGE: 52 Year's

SEX: Male

ADDRESS SRIKOT

COVID Vaccine V1+V2

c/o Itchy Black lesions on legs, elbows & back x 1 yr.

O/E Hyperpigmented plaque ⊕ on elbows, low back & legs.

N/h/o Consult dally -

℞ ① T. LCZ 5g 1BD
1 - 0 - 1
② Cr. Halox L/A. twice daily
③ Cr. Obsoft - PPK L/A twice daily.
④ Lotion Clinsure cleansing L/A for hand wash.

R/A
2WK

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1.	लक्ष्मी दत्त पाण्डे,	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रा०खंड लो०नि०वि० पौड़ी	अल्मोड़ा/ विकासखण्ड	1. वि०खंड, रामनगर 2. वि०खंड, लालकुआं 3. वि०खंड, हल्द्वानी 4. प्रा०खंड, रुद्रपुर 5. प्रा०खंड, रामनगर	☑ धारा 17(1) (ख) (एक) ✓	मुख्य चिकित्साधिकारी उ०नि०नगर का प्रमाण पत्र	महोदय, मेरा मार्ग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण मेरे बाएं हाथ Fracture होने के कारण मेरे बाएं पैर में हाथ में ROD पड़ी हुई है। जीवकाण पौड़ी जैसे पहाड़ी क्षेत्र व ठंडे मौसम के कारण मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न है। महोदय माह 01/2023 में रामनगर में CMO का पद स्वीकृत के कारण रिक्त होने वाला है। अतः मेरी उपरोक्त समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी/ माननीय मंत्रीवर पर मेरा स्थानान्तरण वि०ख०रामनगर में करने की कृपा करें।
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

- कॉलम संख्या–07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 08/5/2023

नाम– लक्ष्मी दत्त पाण्डे

पदनाम– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रा०नि० खंड, लो०नि०वि० पौड़ी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 8/5/23

नाम– [illegible]

पदनाम– [illegible] 8/5/2023

कार्यालय– मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊधम सिंह नगर।

प्रमाण पत्र दिनांक 23.04.2019

श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डे आयु 45 वर्ष पुत्र श्री राम दत्त पाण्डे कार्यालय निर्माण खण्ड नं0 नि0वि0 काशीपुर , का स्वास्थ्य परीक्षण जवाहर लाल नेहरू जिला चिकित्सालय रुद्रपुर के मेडिकल बोर्ड के द्वारा कराया गया मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डे **old fracture tibia with interlocking nail** ग्रसित पाया गया तथा मेडिकल बोर्ड के द्वारा इन्हे ठन्डे मौषम ,पहाडी वाले क्षेत्र मे चढ़ने ,उतरने तथा लम्बी यात्रा न करने की सलाह दी गई।

Photo Copy Attested
9/05/2023
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पौड़ी

Chief Medical Officer
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
Udham Singh Nagar.

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा 17 ख के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विजय सिंह चौहान	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	टिहरी	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	धारा 17(1)(ख)(दो)	अनुरोध के आधार पर निजी हित में स्थानान्तरण चाहने के सम्बन्ध में।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 29/5/23

नाम– विजय सिंह चौहान

पदनाम– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 29/5/23

नाम– इं0 दीपक गुप्ता

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

Executive Engineer
National Highway Division PWD
Dehradun
29/5/23

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., देवपुरा, हरिद्वार

Phone No.- 01334-227446, E-Mail I.D.- eepthar@rediffmail.com

पत्रांक : 1457 / IE

दिनांक : 24 / 05 / 2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन 'क' वर्ग लो0नि0वि0,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

विषय :– **वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अन्तर्गत सुगम से सुगम हेतु 10 ऐच्छिक स्थानों के विकल्पों के प्रेषण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **आपका कार्यालय ज्ञाप सं0 699 / 34व्यक–स्थाना0–सा0 / 2023, दिनांक 13.05.2023।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ पत्र के अनुपालन में इस खण्ड के अन्तर्गत स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 7 (घ) (दो) के अन्तर्गत छूट प्राप्त सुगम क्षेत्र में एक ही कार्यालय / जनपद में 04 वर्ष पूर्ण करने पर सुगम से सुगम में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा सुगम से सुगम हेतु उपलब्ध कराये गये विकल्पों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अंकित कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– उक्तानुसार

(इं0 सुरेश कुमार तोमर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
हरिद्वार

पत्रांक :– / तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लो0नि0वि0 हरिद्वार सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
हरिद्वार

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्रम	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थान-चरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरिमता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री ललित कुमार धीमान	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।	पौड़ी / पौड़ी	1. वि० / ग्रा० खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून। 2. प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून। 3. अन्तर्राई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश।	धारा 27(1) (ख) सीमा	प्रस्तुत साक्ष्य का विवरण	–
							मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय प्रमाण-पत्र	

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम –श्री ललित कुमार धीमान
पदनाम –मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम –इ० [illegible]
पदनाम–अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।

Executive Engineer
Constn. Division P.W.D.
Chinyalisour (Uttarkashi)

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

द्वारा -- समुचित माध्यम

विषय -- अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान में निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है। महोदय जिसके क्रम में आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि प्रार्थी का पुत्र दिव्यांग है (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न है) जिसकी शिक्षा–दीक्षा भी वर्तमान में देहरादून में ही चल रही है एवं उसकी देख–रेख की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी पर ही निर्भर है। महोदय प्रार्थी अपने माँ–बाप की इकलौती सन्तान होने के कारण बच्चों की शिक्षा–दीक्षा एवं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने में अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा दुर्गम में भी मेरी दस वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है। महोदय, वर्तमान में वि०/यॉ० खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति माह अप्रैल–2023 में होनी है जिसके फलस्वरूप खण्ड में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त हो जाएगा।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी की उपरोक्त पारिवारिक परिस्थितियों के मध्यनजर रखते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 17(ख) तीन के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर प्रार्थी का स्थानान्तरण वि०/यॉ० खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून में ही करने की महति कृपा कीजिएगा। इस हेतु प्रार्थी एवं उसका परिवार आपका आजीवन आभारी रहेगा।

धन्यवाद

संलग्न – मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र।

प्रार्थी

20/4/23

(ललित कुमार धीमान)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

पत्रांक:– /

तद्दिनांकित

अग्रेषित प्रतिलिपि:– 1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तरांचल मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि प्रार्थी की उपरोक्त पारिवारिक समस्या को मध्यनजर रखते हुए मेरा स्थानान्तरण वि०/यॉ० खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून में ही करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

—"— 3. क्षेत्रीय अध्यक्ष (ग०क्षे०)/महामंत्री, उत्तरांचल मिनिस्टीरियल एसोसिएशन, लोक निर्माण विभाग, निर्माण/रा०म० खण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि प्रार्थी की उपरोक्त पारिवारिक समस्या को देखते हुए मेरा स्थानान्तरण वि०/यॉ० खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

पत्रांक 448/045 चिंड-20/04/2023

मूल में अधीक्षण अभियन्ता इ०ब०, लो०नि०वि० उ०काशी को स्थानान्तरण की संस्तुति सहित प्रेषित।

(ललित कुमार धीमान)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

Executive Engineer
Constn. Division P.W.D.
Chinyalisour (Uttarkashi)
20.4.23

Scanned with OKEN Scanner

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER, DEHRADUN
FORM OF MEDICAL CERTIFICATE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (PWD)

Certificate No. CMO/SM-2/P.D./2018/19060 Date 19-03-2018

DISABILITY CERTIFICATE

1. This is Certificate that Smt./Shri/Kum. Shubham Kumar /Age-24yr
son/daughter of Shri Lalit Kumar
Add-727 Shanti Vihar, Seela Kala Chandrabani Mohallewala Dehradun
is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:
(i) BL-Both legs affected but not arms.
(ii) BA-Both arms affected (a) Impaired reach (b) Weakness of grid
(iii) OL-One leg affected (right or left) (a) Impaired reach (b) Weakness of grid (c) Ataxic
(iv) OA-One arm affected (right or left) (a) Impaired reach (b) Weakness of grid (c) Ataxic
(v) BH-Stiff Back and hips (cannot sit or stop)
(vi) MW-Muscular Weakness and limited physical endurance

B. Blindness or Low Vision: (C) Hearing Impairment
(i) B-Blind (ii) PB - Partially Blind D-Deaf (a) PD - Partially Deaf
(Delete the category whichever is not applicable)

B/L Nystagmus with cerebral palsy

Self Photo copy Attested
(Lalit Kumar Shirvan)

2. This condition is progressive/non-progressive/visity to improve/not likely to improve.
Re-assessment of this case is not recommended / is recommended after a period of ..... year ..... Months.
3. Percentage of disability in his / her case is Hundred Percent Percent
4. Smt./Shri/Kum. Shubham Kumar meets the following physical requites No discharge of his/her duties.

(i)	F-can perform work by manipulating with fingers	Yes	No
(ii)	PP-can performs work by pulling and pushing	Yes	No
(iii)	L-can perform work by lifting	Yes	No
(iv)	KC-can perform work by kneeing and crouching	Yes	No
(v)	B-can perform work by bending	Yes	No
(vi)	S-can perform work by sitting	Yes	No
(vii)	ST-can perform work by standing	Yes	No
(viii)	W-can perform work by walking	Yes	No
(ix)	SE-can perform work by seeing	Yes	No
(x)	H-can perform work by hearing/speaking	Yes	No
(xi)	RW-can performs work by reading and writing	Yes	No

L.T.I.

(Signature of Doctor)
Name:
Registration No.:
Member Medical Board

(Signature of Doctor)
Name:
Registration No.
Member Medical Board

(Signature of Doctor)
Name: Himraj Saun
Registration No.
Member Medical Board

*Please delete the words which are not applicable

Place: Dehradun
Date: 14/03/18

Counter Signature of the Medical Superintendent CMO
Head of Hospital (with seal)

Note: (i) According to the Persons with Disabilities (Equal Opportunities). Protection of Rights and Full participation Rules, 1995 notified on 31.12.1995 by the Central Government in exercise of powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 73 of the Persons with (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1995 (1 of 1996), authorities to give disability Certificate will be a Medical Board duly constituted by the Central of the State Government. The State Government may constitute a Medical Board consisting of at least three members out of which at least one shall be a specialist in the particular field for assessing locomote /hearing & speech disability, mental retardation and leprosy cured as the case may be.
(ii) The certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is temporary. For these who acquired permanent disability, the validity can be shown as permanent.

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट के धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					1.प्रा0स्व,कठपुर।	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय अवगत कराना है कि मैं वर्ष 2018 से अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत हूँ। मेरे पिताजी की आयु 85 वर्ष है। जो गंभीर बिमारीसे ग्रस्त है। घर से अत्यन्त दूर होने के कारण मैं समय पर उनके स्वास्थ्य उपचार हेतु घर नही आ जा पाता हूँ। उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियों के कारण मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिनके स्वास्थ्य उपचार हेतु उक्त ऐच्छिक स्थानों में से किसी एक कार्यालय में मेरा स्थानान्तरण करने का कष्ट करें।
					2.नि0,ख0, काशीपुर।	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
					3.नि0ख0,रामनगर।	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					4.नि0ख0,हल्द्वानी।	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
1	कान्ती बल्लभ आर्य	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रा0 स्व0, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।	नैनीताल / भवाली	5.नि0ख0, खटीमा।	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					6.अ0ख0,भवाली।	☑ धारा 17(1) (ख) (पांच)	संलग्न चिकित्सा प्रमाण-पत्र।	
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 29/4/23
नामः–कान्ती बल्लभ आर्य
पदनामः–मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

01/5/23
कार्यालय (कार्यालयाध्यक्ष)
अधिशासी अभियन्ता
नामः–
पदनामः–अधिशासी अभियन्ता

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2 Emp Code No 65005115

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ललित मोहन	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया	पौड़ी गढ़वाल/ धुमाकोट	1- नि.ख. देहरादून 2- रा.मा. खण्ड देहरादून 3- रा. मा. खण्ड डोईवाला 4- प्रा0खण्ड देहरादून 5- वि0/यां0खण्ड देहरादून	धारा के नाम के आगे ✓ लगावें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	वरिष्ठ कार्मिक दुर्गम में लगातार पांच वर्ष एवं कुल 12 वर्षों की सेवा की गयी है।
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (पांच)	जन्मतिथि प्रमाण-पत्र संलग्न है।	
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नः– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 25/4/2023

नाम– ललित मोहन

पदनाम– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 25/4/23

नाम– प्रद्युम्न कुमार

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
सहिया, देहरादून
25/4/23

Emp-code - 65005115

paragraph 35 of Auditor - General's Instructions issued under Fundamental Rule 74)

F. R. FORM No. 13

1.	Name नाम	श्री ललित मोहन.
2.	Race जाति या कौम	हिन्दू (ब्राह्मण)
3	Residence निवास-स्थान	ग्राम - डाँडियें पो० - पटोड़ियाखाल जिला - चौड़ी गढ़वाल, उत्तर
4.	Father's name and residence पिता का नाम तथा निवास-स्थान	स्व० श्री खुशहाल सिंह ग्राम - डाँडियें पो० - पटोड़ियाखाल जिला - चौड़ी गढ़वाल, उत्तर
5.	Date of birth by the Christian era nearly at can be ascertained, जन्म दिनांक	२५ मार्च १९६८ (पच्चीस मार्च उन्नीस सौ अड़सठ)
6.	Exact height by measurement ठीक-ठीक लम्बाई	5 फिट 4 इन्च.
7	Personal marks for Identification वैयक्तिक अभिज्ञान चिन्ह	दाँयी ठोड़ी के नीचे चोट का निशान.
8	Signature of Government Servant सरकारी कर्मचारी का हस्ताक्षर	स्वप्रमाणित
9	Signature and designation of the Head of the Office or other Attesting Officer. कार्यालय या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम	25/4/23 CAO

Signature of the Officer to be Attested

Asistant Engineer K/M
Ty. K/M Division, P.W.D.
CHAMOLI (Gopeshwar)

N.B. : The entries in this page should be renewed or reattested at least every year, and Sigvation on item [8] and [9] should be dated]

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
सहिया।

विषयः– खण्डीय संवर्ग में दुर्गम में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के सेवा विवरण के संबंध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से खण्डीय संवर्ग में दुर्गम में कार्यरत ऐसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने दुर्गम में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण अथवा वर्तमान कार्यालय में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, का सेवा विवरण लोक निर्माण विभाग की वेपसाईड पर अपलोड किया गया है, जिसमें मेरा नाम कमांक 25 पर अंकित है। सूची में प्रार्थी का तहसील/गृहजनपद देहरादून अंकित हुआ है, जबकि मेरी तहसील धुमाकोट एवं गृह जनपद पौड़ी गढ़वाल है, जिसे एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर खण्डीय स्तर से सही कर दिया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर मेरी गृह तहसील धुमाकोट एवं गृह जनपद पौड़ी गढ़वाल करवाने हेतु प्रमुख अभियन्ता महोदय को लिखने की कृपा करें।

का0 ललित
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
सहिया, देहरादून

9/5/23
(ललित मोहन)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
अ0ख0 लो0नि0वि0,
सहिया। Emp Code 65005115

E.A.I

पत्रांक 658/मूल दिनांक 09/05/2023

9/5/23 प्रमुख अभियन्ता कार्यालय
लो0नि0वि0 देहरादून

महोदय,

कृपया ललित मोहन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी लो0नि0वि0 सहिया द्वारा एच0आर0एम0एस0 पोर्टल में गृह जनपद के संशोधित हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार उनका गृह जनपद व तहसील संशोधित करने की संस्तुति की जाती है।

9/5/23
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया, देहरादून
9/5/23

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्रम सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री देवराज सिंह	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 थराली (चमोली)	अल्मोड़ा/रानीखेत	1. रामनगर 2. काशीपुर 3. हल्द्वानी 4. नैनीताल 5. भवाली 6. काठगोदाम 7. रूद्रपुर 8. खटीमा 9. रानीखेत 10.अल्मोड़ा	धारा के नाम के आगे √ लगायें ☐ धारा 17 (1) (ख) (एक) ☐ धारा 17 (1) (ख) (दो) ☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17 (1) (ख) (चार) ☐ धारा 17 (1) (ख) (पॉच) ☑ धारा 17 (1) (ख) (छः) ☐ धारा 17 (1) (ख)(सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	मै विगत पॉच वर्षो से दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत हूँ तथा मेरी आयु 56 वर्ष से अधिक है सेवाकाल के अन्तिम समय में पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया जाना है अतः कॉलम 6 में अकिंत स्थानों में रिक्त होने वाले मुख्य प्रशा0 अधिकारी के पद पर मेरा स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, सभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) 25/4/2023

नाम–देवराज सिंह

पदनाम–मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 27/4/23

(इ.स्था.स्था.रक्षा)

नाम–

पदनाम–

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
थराली (चमोली)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 716 / 35 दिनांक 27 / 04 / 2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "क" वर्ग
लेक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय :– **अनुरोध के आधार पर पात्र कार्मिकों के ऐच्छिक स्थान का विवरण के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– पत्रांक–527 / 34व्यक–स्थानान्तरण–सा0 / 2023 दिनॉक 20.04.20232

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में इस खण्ड में कार्यरत श्री देवराज सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अधिकतम 10 ऐच्छिक स्थानों के विकल्पों सहित, प्रारूप–2 में अकिंत कर प्रेषित किया गया है। जो मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार प्रारूप–2

27/4/23
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
थराली(चमोली)

पत्रांक / उक्तदिनांक

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री देवराज सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 थराली को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
थराली

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	नैनसिंह बिष्ट	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० ऋषिकेश	नैनीताल	① प्रा० ख० अल्मोड़ा ② प्रा० ख० रानीखेत ③ नि० ख० रामनगर ④ नि० ख० नैनीताल ⑤ प्रा० ख० नैनीताल ⑥ नि० ख० हल्द्वानी ⑦ अल्मोड़ा सिंचाई प्रभाग ⑧ राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड हल्द्वानी	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये ☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☑ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी की सेवानिवृत्त जून 2024 है। एवं सेवा नियत अवधि चलते समस्या को देखते हुए अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– नैनसिंह बिष्ट

पदनाम– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– अधिशासी अभियन्ता

पदनाम– लो०नि०वि० ऋषिकेश

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

द्वारा :- उचित माध्यम

विषय :- **स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है, कि प्रार्थी का स्थानान्तरण एवं समायोजन प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत से प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग किया गया है। महोदय अवगत कराना है, कि प्रार्थी की पत्नी की तबियत भी ठीक नहीं रहती है, जिस हेतु प्रार्थी को समय-समय पर बृजलाल हास्पीटल हल्द्वानी में दिखाना पड़ता है, तथा प्रार्थी की पत्नी पैरालाइज से ग्रस्त है। तथा प्रार्थी की आयु भी 58 वर्ष से अधिक हो गयी है। मेरा स्थानान्तरण/समायोजन प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग होने के कारण मैं अपनी पत्नी की देखभाल सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग से मेरे घर की दूरी लगभग 275 किमी0 है एवं प्रार्थी की सेवानिवृत्ति एवं घरेलू समस्या को देखते हुए निकटतम जिला नैनीताल के रामनगर एवं अल्मोड़ा एवं रानीखेत में करने की कृपा करें एवं स्थानान्तरण सत्र के बाद 11 माह की अवधि शेष है।

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रामनगर एवं अल्मोड़ा, रानीखेत, हल्द्वानी, नैनीताल किसी भी खण्ड में करने की असीम कृपा करें। इस हेतु प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा।

प्रार्थी

(नैन सिंह बिष्ट)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

अग्रिम प्रतिलिपि– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, व्यवस्थान "ग" वर्ग, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रान्तीय अध्यक्ष/प्रान्तीय महामंत्री, लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रीयल एसोशियेसन उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अध्यक्ष/क्षेत्रीय महामंत्री, लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रीयल एसोशियेसन उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाध्यक्ष/जिला महामंत्री, लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रीयल एसोशियेसन उत्तराखण्ड रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रार्थी

(नैन सिंह बिष्ट)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 वैकल्पिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सत्यपाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	प्रा०खण्ड, लो०नि०वि० लैन्सडौन	अल्मोड़ा / रानीखेत	निर्माण खण्ड रामनगर	धारा के नाम के आगे Tick लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी द्वारा 10 वर्ष की दुर्गम सेवा पूर्ण कर ली गयी है। प्रार्थी के बच्चे वर्तमान में रामनगर में अध्ययनरत हैं एवं पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। दूरस्थ होने के कारण घर व बच्चों की देखरेख करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माह 07/2023 में निर्माण खण्ड रामनगर व माह 10/2023 में प्रान्तीय खण्ड रानीखेत में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्त होने वाले है। अतः अनुरोध के आधार पर उक्त खण्डों में अथवा नजदीकी किसी भी खण्ड में प्रार्थी का स्थानान्तरण करने की कृपा कीजिएगा।
2					प्रा०खण्ड, रानीखेत	( ) धारा 17 (1) (ख) (एक)		
3					अ०खण्ड भवाली	( ) धारा 17 (1) (ख) (दो)		
4					नि०खण्ड काशीपुर	( ) धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
5						( ) धारा 17 (1) (ख) (चार)		
6						( ) धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
7						( ) धारा 17 (1) (ख) (छः)		
8						( ) धारा 17 (1) (ख) (सात)		
9								
10								

हस्ताक्षर (कार्मिक)

सत्यपाल
मु०प्र०अधिकारी
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०
लैन्सडौन

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

6/10/23

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०
लैन्सडौन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

द्वारा:– उचित माध्यम।

विषय:– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर निजीहित में समायोजन/स्थानान्तरण करने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि आपके पत्रांक 226/115व्यग–अधि0–उ0/2021 दिनांक 23.04.2022 द्वारा प्रार्थी का समायोजन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 लैन्सडौन किया गया है। जिसके अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 01.05.2022 को प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 लैन्सडौन में योगदान कर दिया गया है। प्रार्थी ग्राम व पो0 उपराडी, तहसील–रानीखेत, जिला अल्मोड़ा का निवासी है। प्रार्थी के बच्चे वर्तमान में रामनगर में अध्यनरत है एवं <u>पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब</u> रहता है। प्रार्थी का समायोजन दूरस्थ होने के कारण घर व बच्चो की देखरेख करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। <u>प्रार्थी द्वारा 10 वर्षों की दुर्गम</u> की सेवा की गई है। महोदय माह 07/2023 में निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रामनगर व माह 10/2023 में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्ति होने वाले है।

अतः महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि उक्त कठिनाईयो/परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी का निजीहित में समायोजन/स्थान्तरण निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रामनगर/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत अथवा नजदीकी किसी भी खण्ड में करने की कृपा कीजिएगा।

प्रार्थी आपका आजन्म आभारी रहेगा।

पत्रांक 1416/पद 8-5-23
प्रार्थना पत्र मूल में सहानुभूति पूर्वक अग्रसारित
8/5/23
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
लैन्सडौन गढ़वाल।

प्रार्थी,

(सत्यपाल)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
लैन्सडौन (गढ़वाल)

अग्रिम प्रतिलिपि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन "ग" वर्ग, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रार्थी का निजीहित में समायोजन/स्थान्तरण उक्त खण्ड में करने की कृपा कीजिएगा।

प्रतिलिपि प्रान्तीय अध्यक्ष /प्रान्तीय महामंत्री/क्षेत्रीय अध्यक्ष को प्रार्थी का निजीहित में समायोजन/स्थान्तरण उक्त खण्ड में करवाने हेतु सादर प्रेषित।

जनपदीय अध्यक्ष, मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रार्थी का में समायोजन/स्थान्तरण उक्त खण्ड में करवाने हेतु सादर प्रेषित।

(सत्यपाल)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
लैन्सडौन (गढ़वाल)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	श्री धर्मानन्द पुनेठा	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० कपकोट	पिथौरागढ़	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० पिथौरागढ़	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)	1– प्रार्थना पत्र	यह खण्ड मेरे गृह जनपद से लगभग 200 किमी० दूर है, अतः गृह जनपद के नजदीक किसी एक खण्ड मे स्थानान्तरण चाहा है तथा माह 04/2024 मे सेवानिवृत्त।
					प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० बीरीहाट	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० चम्पावत	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– धर्मानन्द पुनेठा

पदनाम– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष) 4/5/23

नाम– इं० [illegible] पी० उपाध्याय

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

नि०ख० लो०नि०वि०

कपकोट

4/05/2023

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,कपकोट

Ph. No. 05963-253385 E-mail- eenedbapkot@rediffmail.com

पत्रांक– 941 /16.E / दिनांक 10/05/2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "क" वर्ग
ले0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों की दुर्गम क्षेत्र सुगम क्षेत्र /अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के संबंध में। (प्रारुप 1 एवं प्रारुप 2)

संदर्भ :– आपका पत्रांक सं0 527/34 व्यक–स्थानान्तरण–सा0/2023 दिनांक 20.04.2023

उपरोक्त विषयक पत्र के अनुपालन में चाही गई सूचना निर्धारित प्रारुप में संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– 1. श्री धर्मानन्द पुनेडा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (प्रारुप–2)
2. श्री ओम प्रकाश, प्रशासनिक अधिकारी (प्रारुप–2)
3. श्री नवीन सिंह दानू, कनिष्ठ सहायक (प्रारुप –1)

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग,
कपकोट।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

द्वारा:— उचित माध्यम

महोदय,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मै माह 07/2019 से निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट (बागेश्वर) मे कार्यरत हूँ, ज्ञात हुआ है कि माह 03/2023 मे प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट मे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद माह 04/2023 रिक्त हो चुका है एवं प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 चम्पावत मे माह 06/2023 मे रिक्त होगा, उक्त दोनों खण्डों मे से एक खण्ड में मेरा स्थानान्तरण करने की कृपा कीजिएगा, मेरी सेवानिवृत्ति तिथि माह 04/2024 है। मेरा घर पिथौरागढ है तथा परिवार की देख रेख करने वाला कोई नही है, डीडीहाट खण्ड से घर की दूरी लगभग 60 किमी0 पडती है एवं इस खण्ड मे वर्तमान मे 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, 01 प्रशासनिक अधिकारी, 03 प्रधान सहायक, 04 वरिष्ठ सहायक, 04 कनिष्ठ सहायक एवं 01 वैयक्तिक सहायक कुल 15 मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी कार्यरत है।

अतः महोदय जी से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरा स्थानान्तरण प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 डीडीहाट/चम्पावत करने की कृपा कीजिएगा, प्रार्थी आपका आजन्म आभारी रहेगा।

EE-I
15/23
EE 1/5

प्रार्थी

(धर्मानन्द पुनेड़ा)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट

अग्रिम प्रति— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये प्रार्थी का स्थानान्तरण करने की कृपा करें।
प्रतिलिपि— जनपदीय मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0 बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— प्रान्तीय अध्यक्ष/सचिव मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0 देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(धर्मानन्द पुनेडा)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कपकोट

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट के धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय मेरी आतिथि तक पूर्ण सेवा दुर्गम मे ही रही है।
					1.नि0ख0,हल्द्वानी।			
					2.रा0रा0मार्ग खण्ड,हल्द्वानी।	☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
					3.नि0ख0,नैनीताल।	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
1	सुशीला देवी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	अ0ख0, लो0नि0वि0, बेरीनाग।	अल्मोड़ा / अल्मोड़ा	4.प्रा0ख0,नैनीताल।	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					5.अ0ख0,भवाली।	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					6.रा0रा0मार्ग खण्ड, रानीखेत।	☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)	संलग्न	
					7.नि0ख0,रानीखेत।	☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
					8.प्रा0ख0,रानीखेत।	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		
					9.प्रा0ख0,रूद्रपुर।			
					10.नि0ख0,रामनगर।			

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नामः–सुशीला देवी।

पदनामः–मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

हस्ताक्षर (कार्यालय प्रमुख)

अधिशासी अभियन्ता

नामः–डा0 एम0सी0तिवारी

पदनामः–अधिशासी अभियन्ता

अरथमेटिक खण्ड, लो0 नि0 वि0

बेरीनाग, (पिथौरागढ़)

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बेरीनाग

फोन नं0– 05964–244117 फैक्स नं0–05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 792 / 25

दिनांक 02 / 05 / 2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"व्यवस्थापन क वर्ग"
लो0नि0वि0उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2023 हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक 527 / 34व्यक–स्थानान्तरण–सा0 / 2023 दिनांक 20.04.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में इस खण्ड से सम्बन्धित आख्या निर्धारित प्रारूप में अंकित कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार 06 न0

भवदीय

(इं0मोहन चन्द्र तिवारी)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 बेरीनाग।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 वैकल्पिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	खीम सिंह पाण्डेय	मु० प्र० अधिकारी	नि० ख० लोनिवि पौड़ी	बागेश्वर / गरुड़	(1) नि० ख० हल्द्वानी (2) रा०प्रा० ख० हल्द्वानी (3) प्रा० ख० कालाढूंगी (4) नि० ख० रामनगर (5) नि० ख० कालीपुर	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी द्वारा 18 वर्ष 7 माह 17 दिन की दुर्गम सेवा की गई है।
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट:– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– खीम सिंह पाण्डेय

पदनाम– मु० प्र० अधिकारी

20/04/23

हस्ताक्षर (कार्यालय प्रमुख)

निर्माण खण्ड, ल०नि०वि० पौड़ी

नाम–

पदनाम–

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

E Mail ID:- eepwdedpauri@gmail.com, eeedpau.pwduk@gov.in, Fax & Phone No. (01368-222284)

पत्रांक 791 / 160 दिनांक 11 / 05 / 2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "क" वर्ग
उत्तराखण्ड लो0नि0वि0,
देहरादून।

विषयः– समूह–क, ख व ग के अधिकारी/कर्मचारियों का सुगम–दुर्गम/दुर्गम से सुगम एवं अनुरोध के आधार पर आवेदन करने वाले कार्मिका का विकल्प पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका कार्यालय ज्ञाप सं0 527/34व्यक–स्थानान्तरण –सा0/2023 दिनांक 20.04.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में निवेदन करना है कि इस खण्ड में कार्यरत समूह–क, ख एवं ग के अधिकारी/कर्मचारियों की पात्रता दुर्गम से सुगम में रखी गई है जिस हेतु उनका विषयगत प्रारूप–1 (ऐच्छिक स्थान) एवं प्रारूप–2 (अनुरोध के आधार पर) संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– श्री रवि कुमार सहायक अभियन्ता–प्रारूप–1

2– श्री गोविन्द सिंह कौण्डल सहायक अभियन्ता– प्रारूप–1 एवं 2
संलग्नः– साक्ष्य–1 व 2

3– श्री संसार सिंह सहायक अभियन्ता– प्रारूप–1 एवं 2

4– श्री खीम सिंह परिहार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी– प्रारूप–2
संलग्नः– साक्ष्य–1

5– श्री रमन थपलियाल कनिष्ठ अभियन्ताा– प्रारूप–1

6– श्री विकास बिष्ट कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0)– प्रारूप–1

7– श्री शिवचरण अमीन– प्रारूप–1

8– श्री रामपाल वरिष्ठ सहायक– प्रारूप–1 एवं 2

9– श्री नरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक– प्रारूप–1 एवं 2

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

11/05/23

(इं0 धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पौड़ी
11/5/23

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	पदस्थापन का स्थान	कार्यालय जिसे अनुरोध किया गया	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	2	3	4	5	6			
(1)	गिरीश लाल टम्टा	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	अल्माड़ा खण्ड जे.वि.वि. चम्पावत	जनपद-चम्पावत तहसील-कर्णप्रयाग	(1) विद्युत आंतरिक खण्ड लो०नि०वि० देहरादून (2) प्रा० खण्ड दे०दून (3) अल्माड़ा खण्ड ऋषिकेश (4) प्रा० खण्ड हरिद्वार (5) वि० खण्ड देहरादून (6) राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड देहरादून (7) रा० राजमार्ग खण्ड डोईवाला (8) वि० खण्ड नरेन्द्रनगर (9) वि० खण्ड पौड़ी (10) वि० खण्ड रुड़की	धारा 17(1) (ख) (एक) धारा 17(1) (ख) (दो) धारा 17(1) (ख) (तीन) धारा 17(1) (ख) (चार) धारा 17(1) (ख) (पांच) धारा 17(1) (ख) (छः) धारा 17(1) (ख) (सात) ☑ धारा 17(1) (ग) (तीन)	लगभग 39 वर्षों की सेवा अवधि में 22 वर्ष 8 माह दुर्गम क्षेत्र में कार्यरत रहा हूँ।	विद्युत आंतरिक खण्ड देहरादून में दि० 31/10/2023 को मु० प्र० अभि० के सेवा निवृत्त होने पर पद रिक्त होगा। उक्त खण्ड में अनुपलब्ध के अवधा० पर स्थानान्तरण हेतु शासी का प्रार्थना पत्र कृषि प्र० के सचिव के पत्र सं० 1907/मूल दि० 13/4/2023 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किया गया है।

नोट:– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में संबंधित स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– (गिरीश लाल टम्टा)
पदनाम– मुख्य प्रशासनिक अधि०
अ० खण्ड लो०नि०वि०
चम्पावत

EC-I

EC
25/4/23

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– लोकेश सारस्वत
पदनाम– प्रा० अधिशासी अभि०